कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) जायल

क्रमांक/भू०अ०/2021/2059 ××× दिनांक 30-7-2021

प्रेषित :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो०
जायल

विषय :- प्राथमिक डिक्री की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके पत्र क्रमांक/दिनांक 262/25-03-2021 के अनुसरण में राजस्व वाद संख्या 56/2020 अनवान रामनारायण बनाम अर्जुनराम वगैरह जारी प्राथमिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिए इस कार्यालय से आदेश जारी किया गया, आदेश की पालना में प्राथमिक डिक्री की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव तैयार होकर इस कार्यालय में जमा हुई, इस पत्र के संलग्न रा० वा० सं० 56/2020 में जारी प्राथमिक डिक्री की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में भेजा जा रहा है, अतः आपके पत्र की पालना उचित कार्यवाही बाबत सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0अ0)
जायल

संलग्न :- रा० वा० सं० 56/2020 में जारी प्राथमिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में।

Scanned with CamScanner

मौकारिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव प्रारम्भिक डिक्री

मैं अधिहस्ताक्षरित नायब तहसीलदार डेह न्यायालय सहायक कलेक्टर आदेश क्रमांक/रीडर/कोर्ट/2021/262 दिनांक 25/03/2021 राजस्व वाद सं. 56/2020 उनवान राम नारायण बनाम अर्जुनराम वगैरह में प्रारम्भिक डिक्री एवं श्रीमान तहसीलदार साहब जायल के आदेश क्रमांक/भू०अ/प्रारम्भिक डिक्री/2021/1412 दिनांक 5-04-2021 की पालना मे भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 16/04/2021 को वाके ग्राम आवलियासर पर मय भू.अ.नि. कमोड़िया एवं हल्का पटवारी आवलियासर के साथ मौके पर पहुंचा। न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ) जायल में विचाराधीन प्रकरण सं. 56/2020 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस दिनांक 10/04/2021 द्वारा जारी किये गये थे। जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गई है। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित है

क्र.सं.	नाम मय वल्दियत	उम्र	जाति	वादी/प्रतिवादी
01	रामनारायण पुत्र भंवरूराम जाट		जाट	वादी
02	अर्जुनराम पुत्र भंवरूराम		जाट	प्रतिवादी
03	प्रेमाराम पुत्र भंवरूराम		जाट	प्रतिवादी
04	भंवरूराम पुत्र भादूराम		जाट	प्रतिवादी

उपरोक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया।

क्र.सं.	नाम ग्राम	खातेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नं.	रकबा	हिस्सा कैफियत
01	आवलियासर	रामनारायण, अर्जुनराम, प्रेमाराम पि. भंवरूराम, भंवरूराम पुत्र भादूराम जाति जाट सा. डेह ब.हि. व अर्थात प्रत्येक का 1/4 हि.	18/227 =	2-5857 है.	समी खातेदार प्रत्येक को 1/4 हि.
			449/59 =	0-9712 है.	
			59/1 =	11-9787 है.	
			59/187	5-2609 है.	
कुल			कुल खसरा 04	20-7765 है.	

मौके पर उपरोक्तानुसार ही कब्जा काश्त है। अन्य पक्षकारों
का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी
उक्त विवरण से पूर्ण सहमत है। उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित
पक्षकारों व मौतबिरान के समक्ष पढ़कर सुनाई तथा पढ़कर
सुनाई गई मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़कर सुनकर एवं
समझकर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये गये।

क्रम	नाम मय वल्दियत	जाति	हस्ताक्षर	
1.	रामनारायण पुत्र भंवरूराम	जाट	रामनारायण	वादी/प्र
2.	अर्जुनराम पुत्र भंवरूराम	जाट	Arjun	वादी
3.	प्रेमाराम पुत्र भंवरूराम	जाट	प्रेमाराम	प्रतिवा
4.	भंवरूराम पुत्र मोटूराम	जाट	भंवरूराम	प्रतिवा

अन्य उपस्थित मौतबिरानों को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर
सुनाई गई एवं हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार आज
दिनांक 16/07/2021 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

मंगलाराम

रामनारायण प्रेमाराम प. अरविन्दराम 1 PL amarsh

N.T.ddh

भंवरूराम Arjun

नजरी नक्शा

मौजा ऊंटवालिया

तह० जायल

जिला नागौर

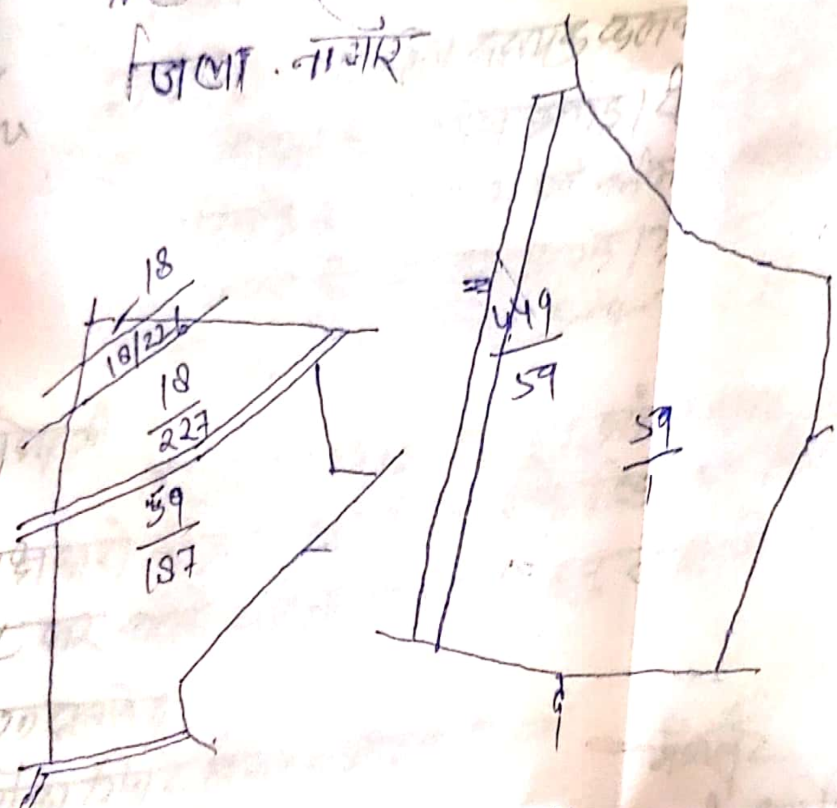

राजकार्य हेतु (जारी)

रामनारायण

Arjun

प्रेमाराम

भंवरूराम

(फतेहचन्द) पटवारी हल्का ऊंटवालिया तहसील

प० ह० ऊंटवालिया

राजस्व वाद 56/2020
रामनारायण बनाम् अर्जुनराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :56/2020

ीगण–
1. रामनारायण पुत्र भंवरूराम
जाति–जाट निवासी–आंवलियासर,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

वादीगण –
1. अर्जुनराम पुत्र भंवरूराम
2. प्रेमाराम पुत्र भंवरूराम
3. भंवरूराम पुत्र लादूराम
जातियान–जाट निवासीगण–आंवलियासर, तहसील जायल (नागौर)
. तहसीलदार जायल
. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा डेह

थति :–
. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
. श्री हनुमानराम मंडा अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से।
. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 03/8/2024

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने न किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा लियासर तहसील जायल में खेत खसरा नं. 18/227 रकबा 2.5657 हैक्टेयर, खसरा नं. /59 रकबा 0.9712 हैक्टेयर , खसरा नं. 59/1 रकबा 11.9787 हैक्टेयर ,खसरा नं. 187 रकबा 5.2609 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी ारिक जुबानी बंटवाड़ा वाद पत्र के पैरा संख्या 9 (इस्तदुआ) अनुसार सिंव–नींव –अलग कर ली। जो निम्न प्रकार से है–: वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम एवं ादी संख्या 3 के संयुक्त बंट में खेत खसरा नं. 18/227 रकबा 2.5657 हैक्टेयर, खसरा 49/59 रकबा 0.9712 हैक्टेयर , खसरा नं. 59/1 रकबा 11.9787 हैक्टेयर ,खसरा नं. 187 रकबा 5.2609 हैक्टेयर रखा गया है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी ारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने ावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्वराजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी ाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व ई में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

03/8/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर.

Scanned with CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 13.07.2020 को उपस्थित न्यायालय होकर ईकबालिया जबाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्द राम ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन तहसील से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबालिया जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के तथा प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जरिये पत्रांक 362/21 दिनांक 08.02.2021 द्वारा अवगत कराया है कि खातेदार भंवरूराम पुत्र लादूराम द्वारा कृषि ऋण खाता संख्या 83025544559 का भुगतान कर बन्द करवा दिया है अतः भूमि को रहन मुक्त करने हेतु तहसीलदार जायल को अग्रिम कार्यवाही हेतु लिखा है जो कि पत्रावली के संलग्न है। प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह रामनारायण पुत्र ...लाल निवासी आवंलियासर के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम आंवलियासर तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 112 प्रदर्श-1 किया। अधिवक्ता वादीगण की ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबालिया जबाब पत्र को स्वीकार किया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर ...ली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने ...न किया है कि वादपत्र को माफीक ईकबालिया जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरी ...नुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से ...हक बंट की भूमि का जरिये ईकबालिया जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात ...वीकारा है तथा माफिक ईकबालिया जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी ...ति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा ...अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ...लिया जबाव दिनांक 13.07.2020 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार ...को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का ...अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ ...व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जबाब पर मनन ...गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। ...के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित ...जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

...पत्र मे प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 13.07.2020 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ... 3 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त ... स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। ... री राय मे मौजा आंवलियासर के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित ...तेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों ...पक्षकारान द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 के संयुक्त हक ... सहखातेदारी में खेत खसरा नं. 18/227 रकबा 2.5657 हैक्टेयर, खसरा नं. 449/59 ...बा 0.9712 हैक्टेयर , खसरा नं. 59/1 रकबा 11.9787 हैक्टेयर ,खसरा नं. 59/187 रकबा ...609 हैक्टेयर की भूमि का बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर ...03.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 23.03.2021 की पालना में प्राथमिक ...वारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 5859 दिनांक 30.07.2021 प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय को ... गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक ...वारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण ...टवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर ...स्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् मेंवादीगण व प्रतिवादी रामनारायण ... भंवरूराम, अर्जुनराम पुत्र भंवरूराम, प्रेमाराम पुत्र भंवरूराम,भंवरूराम पुत्र लादुराम ने ...रा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार ... जाने की पुष्टि अन्य मौतबिरान व्यक्तियों को पढकर सुनाई गई व मौके पर हस्ताक्षर ...े जाने से भी होती है। मौजा आवंलियासर तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. ...227 रकबा 2.5657 हैक्टेयर, खसरा नं. 449/59 रकबा 0.9712 हैक्टेयर , खसरा नं. ...1 रकबा 11.9787 हैक्टेयर ,खसरा नं. 59/187 रकबा 5.2609 हैक्टेयर के संबंध में प्राप्त ...रा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

...वादीगण का वाद अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार ...ल से प्राप्त जरिये पत्रांक 5859 दिनांक 30.07.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार ...ार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

...ई कि– वादी रामनारायण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुनराम व 2 प्रेमाराम का नाम एवं ...ादी संख्या 3 भंवरूराम पुत्र लादुराम के संयुक्त बंट में खेत खसरा नं. 18/227 रकबा ...7 हैक्टेयर, खसरा नं. 449/59 रकबा 0.9712 हैक्टेयर , खसरा नं. 59/1 रकबा 11. ... हैक्टेयर ,खसरा नं. 59/187 रकबा 5.2609 हैक्टेयर भूमि में रखा जाकर खातेदार ...त किया जाता है।

... आज दिनांक 03/8/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर ...जलास सुनाया गया।

03/8/2021
(रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जिला नागौर
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 56/2020

वादीगण–
1. रामनारायण पुत्र भंवरूराम
जाति–जाट निवासी–आंवलियासर,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. अर्जुनराम पुत्र भंवरूराम
2. प्रेमाराम पुत्र भंवरूराम
3. भंवरूराम पुत्र लादूराम
जातियान–जाट निवासीगण–आंवलियासर, तहसील जायल (नागौर)
4. तहसीलदार जायल
5. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा डेह

उपस्थिति :–
1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री हनुमानराम मंडा अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका क्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी हनुमानराम मण्डा व प्रतिवादी 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

ई कि– वादी रामनारायण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुनराम व 2 प्रेमाराम का नाम एवं दी संख्या 3 भंवरूराम पुत्र लादुराम के संयुक्त बंट में खेत खसरा नं. 18/227 रकबा 7 हैक्टेयर, खसरा नं. 449/59 रकबा 0.9712 हैक्टेयर , खसरा नं. 59/1 रकबा 11. हैक्टेयर ,खसरा नं. 59/187 रकबा 5.2609 हैक्टेयर भूमि में रखा जाकर खातेदार किया जाता है।

03/8/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner

मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – ...ज – ...ाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......03/8/2021....... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
मीजान			मीजान		

...–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये ...लाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

03/8/2021

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

(... कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner